न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 47/2019 जिला–सीकर।

1. केशरी देवी पत्नि श्री नारायण जाति अहीर निवासी ग्राम अरणिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2. सीमा पत्नि श्री बाबूलाल जाति अहीर निवासी ग्राम अरणियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
3. श्रवण कुमार पुत्र श्री गोमाराम जाति अहीर निवासी ग्राम अरणियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अपीलान्टस्

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2. गणपतराम पुत्र श्री मेवाराम जाति यादव निवासी ग्राम अरणियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 25.05.2018 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट् श्री हजारी लाल शर्मा।
2. वकील रेस्पोंडेन्ट् संख्या 2 श्री अजय सैनी।

निर्णय

दिनांक 12.10.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 25.05.2018 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 18.10.2019 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 3146/राजस्व दिनाक 27.12.2017 के द्वारा ग्राम अरणियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 233, 255, 264, 271, 278, 280 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक 2619–44/राजस्व/2016/दिनांक 16.08.2016 एवं पत्रांक 4328–53 राजस्व/2016 दिनांक 02.11.2016" के द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में ग्राम अरणियां के खसरा नम्बर 850/2, 233, 255, 264, 271, 278, 280 में से प्रस्तावित रकबे का भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खाजेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एवं गै0मु0 रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किये जाने के आदेश दिये।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के निर्णय दिनांक 25.05.2018 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। दौराने बहस राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आलौच्य आदेश दिनांक 25.05.2018 संबंधित

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

पटवारी हल्का अरणियां एवं भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव में प्रचलित रास्ता पुराना होकर आवागमन सुचारू रहना बताया है। जबकि मौके पर किसी प्रकार का रास्ता ना ही तो मौजूद है ना ही पूर्व में एवं वर्तमान में कायम रहकर प्रचलित होकर चालू है। आमजन द्वारा कभी भी प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में से कोई आवागमन नही किया गया, ना ही उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्शित है। प्रत्यर्थीगण संख्या 2 व 3 द्वारा रास्ता आबादी क्षैत्र या आमजन के उपयोग उपभोग का होना प्रस्ताव में दर्शित नही किया गया है तथा ना ही रास्ता खुलवाने हेतु किसी सिविल व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई आवेदन ही प्रस्तुत किया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 25.05.2018 पारित करने से पूर्व राजस्व रिकार्डनुसार खातेदार/अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये सूचना प्रेषित करते या आपत्ति मांगी जाती लेकिन ऐसा नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आपेक्षित आदेश दिनांक 25.05.2018 विधि के प्रावधानो के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के आक्षेपित आदेश दिनांक 25.05.2018 निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.05.2018 का है लेकिन अपीलांट्स को जानकारी का अभाव के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 16.10.2019 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम अरणियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 233, 255, 264, 271, 278, 280 के खातेदारो की भूमियों में से होकर रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव दिनांक 27.12.2017 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने रिपोर्ट पटवारी हल्का अरणियां, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रति संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को प्रेषित की थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2018 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के ओदश दिये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्ताव दिनांक 28.07.2018 के अनुसार ग्राम अरणियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 233 रकबा 0.09 है0 में से 0.09 है0, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.04 है0 में से 0.04 है0, खसरा नम्बर 264 रकबा 0.04 है0 में से 0.04 है0, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.55 है0 में से 0.0250 है0, खसरा नम्बर 278 रकबा 0.47 है0 में से 0.0110 है0 एवं खसरा नम्बर 280 रकबा 0.37 है0 में से 0.0090 है0 रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2018 पारित किया गया है। हम समझते है कि अपीलांटस् प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2018 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं। वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकारो को नोटिस जारी कर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

उन्हे सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस् को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस् आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

12/10/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

9. निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/10/2021.

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner